

26/18

गोपाल बगवत (14/11/18)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26/10/23	<p>पत्रावली पेशा हुई। वकील उभय पक्ष उपज वास्ते कएष T-9 हेतु पत्रावली दि० 27/10/23 को पेश की।</p> <p>जयपुर जिला (सामान्य)</p>
	27/10/23	<p>पत्रावली पेशा हुई। वकील उभय पक्ष उपज वास्ते कएष T-9 हेतु पत्रावली दि० 17/11/23 को पेश की।</p> <p>जयपुर जिला (सामान्य)</p>
	17/11/23	<p>पत्रावली पेशा हुई। वकील उभय पक्ष उपज वकील प्राची ने प्रापत्र पेश किया जो मूळ T-9 पत्रावली मु० 215/2018 उनवान गोपाल बनाम रामनिवास कौं मे शामिल पत्रावली किया गया। प्रापत्र का अवलोकन करने व मूळदावा पत्रावली मु० न० 239/2018 के साथ प्रस्तुत अस्थायी निपेधाज्ञा मु० न० 216/2018 का आदेशानुसार अवलोकन किया गया। मूळ दावा पत्रावली मु० न० 239/2018 उनवान गोपाल कौं बनाम रामनिवास कौं में प्रापत्र 07 R 11 फर. स्वीकार दि० 27/10/23 का स्वीकार किया जा चुका है। उक्त दावा के साथ प्रस्तुत अस्थायी निपेधाज्ञा की मु० न० 216/2018 को स्वीकार किया जाना चाहिये था। सधन से अस्थायी निपेधाज्ञा मु० न० 215/2018 उनवान गोपाल बनाम रामनिवास कौं को स्वीकार कर दिया। जिसे हम दुरुस्त करना उचित समझे हैं। अतः उक्त अस्थायी निपेधाज्ञा की मूळ दावा पत्रावली प्रापत्र 07 R 11 फर. स्वीकार किया जाकर मूळ दावा स्वीकार हो चुका है। अतः उक्त प्रापत्र अस्थायी निपेधाज्ञा पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः प्राची का प्रापत्र T-9 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नम्बर से काठ देका बाद वकील मूळ दावा के साथ संलग्न की। सुनाया गया।</p> <p>जयपुर जिला (सामान्य)</p>